न्यायालय: - पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 249 / 2016) (संस्थित दिनांक :- 10 / 05 / 16)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— मौ। जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरूद्ध //

01. विवेक श्रीवास्तव पुत्र वेदप्रकाश श्रीवास्तव, उम्र 29 वर्ष। निवासी: वार्ड क्रमांक 04 कस्बा मौ, थाना—मौ, जिला—भिण्ड, म.प्र.।

..... अभियुक्त।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक :– 14/11/2017 को घोषित)

01. आरोपी विवेक श्रीवास्तव पर धारा : 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 20/05/15 की शाम लगभग 05:00 बजे मौ—झॉकरी रोड़ देहगांव से पहले पानी की टंकी के पास, अपने आधिपत्य के वाहन मारूति सुजुकी क्रमांक एम.पी. 07/सी. / 4945 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी विजय को टक्कर मारकर उपहित एवं आहत संतक्मार को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहित कारित की।

- 02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।
- अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 20/05/2015 की शाम लगभग 05:00 बजे मौ-झॉकरी रोड देहगांव से पहले पानी की टंकी के पास, वाहन मारूति सुजुकी क्रमांक एम.पी.07 / सी.सी. / 4945 के चालक द्वारा फरियादी विजय एवं संतकुमार को टक्कर मारकर मारकर उन्हें उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी विजय द्वारा उसी दिनांक थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में वाहन मारूति सूजुकी क्रमांक एम.पी. 07 / सी.सी. / 4945 के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 126 / 2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत संतकुमार के एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने से आरोपी के विरूद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। आरोपी विवेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा वाहन मारूति सुजुकी क्रमांक एम.पी.07 / सी.सी. / 4945 मय दस्तावेज की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तश्रुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी अर्जुन सिंह का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी विजय सिंह, आहत संतक्मार एवं साक्षी हरेन्द्र शर्मा के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपंरात विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तृत किया गया।

- 04. अभियुक्त विवेक के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी विवेक ने दिनांक :— 20/05/15 की शाम लगभग 05:00 बजे मौ—झॉकरी रोड़ देहगांव से पहले पानी की टंकी के पास, अपने आधिपत्य के वाहन मारूति सुजुकी क्रमांक एम.पी.07/सी.सी./4945 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

- फरियादी विजय अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी विवेक को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 09 / 08 / 2017 से करीबन दो साल पहले की शाम लगभग 05:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उस दिन वह अपनी बहिन की शादी की पीली चिट्ठी लेकर अपने गांव वीरपुरा मोटर साईकिल से आ रहा था, तभी झॉकरी के पास सुजुकी कार के चालक ने उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसे चोट आई थी। जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा थाना मौ में लेखबद्ध कराई गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पृछे जाने पर भी फरियादी विजय अ.सा.03 ने आरोपी विवेक द्वारा दिनांक :--20 / 05 / 15 की शाम लगभग 05:00 बजे मौ-झॉकरी रोड देहगांव से पहले पानी की टंकी के पास, उसके आधिपत्य के वाहन मारूति सुजुकी क्रमांक एम.पी.07 / सी.सी. / 4945 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत फरियादी विजय अ.सा.03 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा थाना मौ में लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 एवं पुलिस कथन प्र.पी.07 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।
- 07. आहत/साक्षी हरेन्द्र शर्मा अ.सा.02 एवं संतकुमार अ.सा.04 ने भी अभियोजन द्व ारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी विवेक द्वारा दिनांक :— 20/05/15 की शाम लगभग 05:00 बजे मौ—झॉकरी रोड़ देहगांव से पहले पानी की टंकी के पास, उसके आधिपत्य के वाहन मारूति सुजुकी क्रमांक एम.पी.07/सी.सी./4945 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

- 08. आरोपी तथा फरियादी / आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी विजय अ.सा.03 एवं आहत संतकुमार अ.सा.04 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी विवेक श्रीवास्तव ने दिनांक :— 20/05/15 की शाम लगभग 05:00 बजे मौ—झॉकरी रोड़ देहगांव से पहले पानी की टंकी के पास, अपने आधिपत्य के वाहन मारूति सुजुकी क्रमांक एम.पी.07/सी.सी./4945 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

अंतिम निष्कर्ष

- 10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी विवेक के विरूद्ध धारा 279 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी विवेक को धारा 279 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।
- 12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मारूति सुजुकी क्रमांक एम.पी.07 / सी.सी. / 4945 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी अुर्जन के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद